

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या- 05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1).....पटना,दिनांक.....

राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से एवं कार्यहित में तत्काल के प्रभाव से निम्नलिखित जिला परिवहन पदाधिकारियों को कंडिका-3 में अंकित जिला का अतिरिक्त प्रभार, अगले आदेश तक के लिए, दिया जाता है:-

1	2	3
क्र०सं०	जिला परिवहन पदाधिकारी	अतिरिक्त प्रभार का जिला
1	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी	सुपौल
2	जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा	जमुई
3	जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर	बॉका
4	जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया	मधेपुरा

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियों को जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार के अवकाश अवधि तक के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार के अवकाश से वापस लौटने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उपसचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर एवं सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी, शेखपुरा, भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, जमुई, बॉका एवं मधेपुरा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा, भागलपुर एवं सहरसा/मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक मधुबनी, शेखपुरा, भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, जमुई, बॉका एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

उपसचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1).....1188..... पटना, दिनांक...8/2/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपसचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।